| आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1 | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2 | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3 |
|---|---|---|

12-12-2013

# न्यायालय, समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया

## आदेश

## वाद संख्या– 30/2012–13

मदन प्रसाद

बनाम

बिहार सरकार

यह अपील वाद श्री मदन प्रसाद साह वल्द स्व0 विंध्यावंल साह ग्राम अमवा भूमिहार टोला द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया के आदेश दिनांक 20.03.2012 के विरूद्ध दायर किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया द्वारा आदेश को उल्लेखित किया गया है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मझौलिया ने अपीलकर्ता श्री मदन प्रसाद साह सार्वजनिक ज0वि0 विक्रेता पँचायत सेनुवरिया प्रखंड मझौलिया के दुकान की जाँच की गयी जिस में निम्नालिखित अनियमितता पाई गयी है :–

1. जाँच के क्रम में विक्रेता की दुकान कार्यावधि में बंद पायी गयी ।
2. विक्रेता बिना किसी सूचना के अनुपस्थित पाये गये।
3. विक्रेता के पोषक क्षेत्र वार्ड नं0–05 अमवा कोईरी टोली में पुछताछ करने पर उपभोक्ता शिव महतो की पत्नी द्वारा बताया गया कि उनका कूपन जबरदस्ती बिना खाद्यान्न दिये विक्रेता द्वारा रख लिया जाता है तथा एक माह के अंतराल पर एक माह का ही खाद्यान्न दिया जाता है।
4. अन्य उपभोक्ताओं ने भी इसी तरह का जवाब दिया है तथा राशन कार्ड में विक्रेता के द्वारा मनमाने ढंग से वितरण कर देने का जिक्र किया गया है।
5. यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 एवं अनुज्ञप्ति शर्तो का उल्लघंन है।

अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया द्वारा अपीलकर्ता से

| आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1 | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2 | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3 |
|---|---|---|

स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उन्होने अपना स्पष्टीकरण दिया जिस पर अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया ने प्रखंड आपूति पदाधिकारी, मझौलिया से स्पष्टीकरण पर बिन्दुवार मंतव्य की मांग की। उन्होनें अपना बिन्दुवार मंतव्य दिया जिस से संतुष्ठ होकर अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मझौलिया के मंतव्य एवं अनुशंसा के आलोक में विक्रेता द्वारा गलत स्पष्टीकरण देने एवं खाद्यान्न की कालाबजारी के आरोप में विक्रेता की अनुज्ञप्ति संख्या–07/2009 को रद्द कर दिया गया।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलकर्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की जिसका सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–8282/2012 हैं इस वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 21.02.2013 को आदेश पारित किया गया। जिस में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को अपील दायर करने का निदेश दियागया जिसके आलोक में यह अपील दायर किया गया।

अपीलकर्ता द्वारा निम्नांकित तर्क दिया गया :–

1. निम्न न्यायालय द्वारा उनके कारण पृच्छा पर विचार नही किया गया।
2. श्री शिव महतो एवं भुटेली भगत जिनके आरोप के आधार पर कार्रवाई की गयी है उनका ब्यान कारण पृच्छा के नोटिश के साथ संलग्न नही किया गया है।
3. प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मझौलिया द्वारा दिनांक 27.02.2012 को अपीलकर्ता की दुकान का निरीक्षण नही किया गया है।
4. अपीलकर्ता का कहना है कि दिनांक 27.02.2012 को अपीलकर्ता की दुकान खुली थी और उस दिन उन्होनें 458 लिटर किरोसिन तेल का वितरण किया था। जिसके साक्ष्य के रूप में भण्डार पंजी का अवलोकन किया जा सकता है जिस पर पंचायत समिति एवं वार्ड सदस्य का हस्ताक्षर है।
5. दिनांक 13.02.2013 को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी,

| आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1 | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2 | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3 |
|---|---|---|

मझौलिया द्वारा इनके दुकान का निरीक्षण किया गया था, उस समय वे ईलाज कराने हेतु मोतिहारी गये थे।

दोनों पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना गया। अभिलेख पर उपलब्ध कागजात का अवलोकन किया गया। आवेदक की तरफ से योजना स्टौक रजिस्टर की दिनांक 23.02.2012 से 27.02.2012 तक किरासन तेल का वितरण दिखाया गया। जिसके अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 27.02.2012 को 458 लि0 किरासन तेल का वितरण किया गया। भंडार पंजी पर श्री नगीना पासवान एवं श्री हरि साह वो सदस्य का हस्ताक्षर है।

श्री शिव महतो की पत्नी रीना देवी द्वारा शपथ पत्र दाखिल किया गया है कि वे ग्रामपंचायत राज सेनुवरिया के वार्ड नं0–05 के सदस्य है। पैक्स एवं वितरण प्रणाली के दुकानदार प्रमोद कुमार द्वारा उन्हें राशन एवं किरासन तेल मिलता है। उनका यह भी कहना है कि वे मदन प्रसाद सार्वजनिक जनवितरण प्रणाली के उपभोक्ता नही हैं और कभी भी विक्रेता श्री मदन प्रसाद से राशन एवं किरासन का उठाव नही हुआ है। उन्होंने यह भी कहा है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मझौलिया द्वारा विक्रेता मदन प्रसाद से संबंधित किसी तरह का ब्यान एवं पुछताछ नही किया गया है। वे उन्हें पहचानती भी नही है। श्री भुटेली भगत ने भी अपने शपथ पत्र में रीना देवी जैसा ही ब्यान दिया है।

अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया के आदेश में मुख्यरूप से शिव महतो की पत्नी एवं भुटेली भगत के ब्यान को आधार बनाकर अपीलकर्ता की जनवितरण की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया है। दोनों ने शपथ पत्र देकर यह बतलाया है कि वे अपीलकर्ता के ज0वि0प्र0 के उपभोक्ता नही हैं। अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया द्वारा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मझौलिया के मंतव्य एवं अनुशंसा के आलोक में अपीलकर्ता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मझौलिया के द्वारा प्रतिवेदन दिया गया है कि विक्रेता द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण गलत है और विक्रेता का आरोप झुठा है। विक्रेता द्वारा खाद्यान्न की कालाबाजारी को छुपाने के

| आदेश की क्र0 सं0 और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |

उद्देश्य से हीं ऐसा स्पष्टीकरण दिया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की कोई विवेचना अपने आदेश में नहीं की गयी है, न हीं आरोपों को तथ्यात्मक रुप से अपने आदेश में प्रमाणित पाये जाने का कोई उल्लेख है।

उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया के आदेश दिनांक 20.03.2012 को रद्द करते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया

जिला दण्डाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।